चैक अनादरण मामले में दो माह की सजा

बीकानेर, (कासं)। चैक अनादरण के मामले में एनआई एक्टप्रकरण न्यायालय संख्या-2 के पीठासीन अधिकारी न्यायधीश भारती पाराशर ने अभियुक्त को 41500 रूपये का जुर्माना एवं दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने आरोपी बृजलाल जोशी पुत्र अमृतलाल जोशी निवासी नत्थूसर गेट के बाहर बिन्नाणी कॉलेज के पास बीकानेर को चैक अनादरण का दोषी माना। आरोपी को 41500 रूपये का अर्थदण्ड एवं दो माह का साधारण कारवास से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर 21 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेन्द्र रंगा ने यह जानकारी दी।

बृजलाल जोशी की पत्नी चंद्रकांता जोशी निवासी नत्थूसर गेट के बाहर बिन्नाणी कॉलेज के पास बीकानेर ने पुष्टिकर साख सहकारी समिति से व्यापार हेतु चार जुलाई 2008 को 50000 का ऋण लिया। जिसके एवज में अभियुक्त ने भुगतान हेतु अपने बैंक एसबीबीजे अस्पताल मार्ग शाखा बीकानेर का एक चैक सं. 468013 दिनांक 11 मार्च 2014 राशि 27000 रूपये का स्वयं हस्ताक्षर कर परिवादी को दिया। परिवादी ने उक्त चैक भुगतान हेतु अपनी बैंक इण्डसण्ड बैंक बीकानेर शाखा में प्रस्तुत किया। जो ऑपनिंग बैलेंस पर्याप्त की टिप्पणी के साथ अनादरित कर दिया गया। इसकी सूचना अभियुक्त को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस उनके वर्णित पते पर करवाई गई। फिर भी भुगतान न करने वाद दायर किया गया।

भर्ती बच्चों की जांच 500-500 रूपये लेकर निजी लैब से कराई

- **फर्जी तरीके से जांचें कराने का गोरखधंधा सामने आया। बच्चा अस्पताल में भर्ती करीब 15 बच्चों की इलेक्ट्रोलाइट जांच देर रात एक निजी लैब से 500-500 रूपए लेकर कराई**
- **जबकि डॉक्टर ने ये जांच लिखी ही नहीं थी और ना ही कोई इमरजेंसी थी। यह जांच पीबीएम में निशुल्क होती है**

बीकानेर,(कासं)। पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की फर्जी तरीके से जांचें कराने का गोरखधंधा सामने आया है। बच्चा अस्पताल में भर्ती करीब 15 बच्चों की इलेक्ट्रोलाइट जांच देर रात एक निजी लैब से 500-500 रूपए लेकर कराई गई। जबकि डॉक्टर ने लिखी ही नहीं थी और ना ही कोई इमरजेंसी थी। यह जांच पीबीएम में निशुल्क होती है।

घटना बच्चा अस्पताल के राठी वार्ड की है। नर्सिंग ऑफिसर चेतन, डीडीसी पर कार्यरत हेल्पर अशोक लेघा सहित एक-दो अन्य युवकों ने वार्ड में भर्ती 10 से 15 बच्चों के शरीर में निर्मम तरीके से निडिल चुभाकर खून निकाल लिया। बच्चे दर्द से बिलबिला उठे। उनके साथ सो रही मांओं ने आपत्ति की तो बोले इमरजेंसी है। जांच बाहर से करवाने का कहकर सभी से प्रति जांच के हिसाब से 500-500 रूपए ले लिए। करीब एक घंटे बाद उन्हें रिपोर्ट लाकर थमा दी, जो अस्पताल के सामने स्थित श्रीबालाजी लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की थी। सभी बच्चों की एक ही इलेक्ट्रोलाइट जांच कराई गई थी।

महिलाओं ने रेजिडेंट डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई तो उन्हें हैरानी हुई। बच्चों के पिता भी अस्पताल पहुंच चुके थे। इसे लेकर जब विवाद बढ़ने लगा तो डॉक्टरों ने तुरत-फुरत पांच-सात बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया। पता चला है कि नर्सिंग ऑफिसर चेतन प्रशिक्षु है। पहले यहां पर यूटीबी पर लगा हुआ था। जीएनएम में चयन पर पोस्टिंग भी यहीं करवा ली। हमने इस संबंध में जब एचओडी डॉ. रेणु अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. गुंजन सोनी से बात करनी चाही तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। पीबीएम अधीक्षक डॉ. सुरेंद्र कुमार वर्मा ने जांच के लिए कमेटी बनाई है।

इलेक्ट्रोलाइट जांच मरीज के शरीर में सोडियम, पॉटेशियम, कैल्शियम और सोडियम क्लोराइड की स्थिति का पता करने के लिए कराई जाती है। शिशु रोग के प्रोफेसर डॉ. जी.एस. तंवर का कहना है कि यह जांच इमरजेंसी नहीं है। यदि जरूरत भी पड़ती है तो अस्पताल में एबीजी मशीन लगी हुई है। पीबीएम सभी तरह की जांचें निशुल्क होती हैं। यदि बाहर से कराई है तो गलत है। दूसरी तरफ पता चला है कि दोपहर दो बजे के बाद वार्डों में भर्ती मरीजों की सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, हेपेटाइटिस बी और सी तथा एचआईवी जैसी जांचें भी बाहर निजी लैब से कराने का गौरखधंधा चल रहा है। जबकि यह सभी जांचें अस्पताल में निशुल्क होती हैं।

अधीक्षक डॉ. सुरेंद्र कुमार वर्मा ने चार सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया है, लेकिन उन्हें रात तक इसकी जानकारी नहीं थी। कमेटी में शिशु रोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. जी.एस. तंवर को एचओडी लिखा गया है। जबकि एचओडी डॉ. रेणु अग्रवाल हैं। हमने जब डॉ. तंवर से पूछा तो वे भी अवाक रह गए। उन्होंने बताया कि एचओडी मैडम ही हैं और उनका 9 अप्रैल से छुट्टी पर जाने का प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे

कमेटी में उप अधीक्षक डॉ. गौरीशंकर जोशी, एमएनडीवाई के नोडल अधिकारी डॉ. शिवशंकर झंवर और जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक सीमा कुमारी को शामिल किया गया है। उन्हें जांच रिपोर्ट शीघ्र पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन शिकायत के बाद भी दोषी के विरूद्ध शाम तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन जांच करेगी : कैंसर की समय रहते पहचान एवं प्राथमिक उपचार हेतु मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वेन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गजनेर में शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसमें कैंसर को लेकर जागरूकता के प्रयास भी किए जायेंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पुखराज साध ने बताया कि प्राचार्य सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज डॉ गुंजन सोनी के निर्देशानुसार पीबीएम अस्पताल के कैंसर विभाग द्वारा संचालित प्रीवेंटिव आंकोलॉजी वैन के माध्यम से उक्त शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिसमें ओपीडी समय के दौरान ही मौके पर मैमोग्राफी, सीबीई, ओरल विजुअल एग्जामिनेशन, डिजिटल एक्स-रे, कोल्पोस्कोप, वीआईए, बीपी, आरबीएस आदि जांच की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार मोबाइल वैन पर गले, बच्चेदानी के मुंह, ब्रेस्ट और फेफड़ों के कैंसर की जांच के सभी उपकरण मौजूद हैं।

वेन पर आंकोलॉजी, ईएनटी विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित रेडियोग्राफर तथा नर्सिंग अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में कैंसर की पहचान होने पर 90 फीसदी से अधिक कैंसर रोगियों का पूरा उपचार संभव है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गजनेर की प्रभारी डॉ दुर्गावती टाक ने बताया कि शिविर हेतु क्षेत्र के सभी स्टाफ एवं आशा सहयोगिनियों के माध्यम से आम जनता को संदेश पहुंचाया गया है ताकि अधिकाधिक लोग अपनी जांच करवा सकें। अप्रैल माह में बीकानेर में 11 शिविर लगेंगे।

महिला से 150 ट्रॉमाडोल टैबलेट बरामद

श्रीगंगानगर, (कासं)। जिले की लालगढ़ जाटान पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक महिला तस्कर से 150 ट्रॉमाडोल टैबलेट और नशीली दवाओं की बिक्री से मिले 34 हजार रूपए बरामद किए हैं।

डीआईजी गौरव यादव ने बताया कि डीजीपी उत्कल रंजन साहू के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन सीमा-संकल्प चलाया जा रहा है। लालगढ़ थाना पुलिस ने भागसर में एक महिला को नशीली दवाओं के साथ पकड़ा है। थानाधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने भागसर से अचडकी के पास लिंक चैनल नहर की पुलिया पर कार्रवाई की।

आरोपी कुलविंदर कौर (55) के पास से 150 ट्रॉमाडोल टैबलेट और नशीली दवाओं की बिक्री से मिले 34 हजार रूपए बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच एसआई सुभाष बिश्नोई को सौंपी गई है। आरोपी महिला वार्ड नंबर 1, भागसर की रहने वाली है।

वहीं श्रीविजयनगर पुलिस थाने की टीम ने गश्त के दौरान भारत प्रीतम कॉलोनी के पास से एक युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7.05 ग्राम हेरोइन बरामद की है। थानाधिकारी गोविंदराम ने बताया कि आरोपी की पहचान गणेशाराम (30) के रूप में हुई। वह राजियासर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सार-समाचार

महिला आरक्षण लागू करने की मांग

कांग्रेस नेत्री नीरू चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एडीएम रामअवतार कुमावत को सौंपा।

बीकानेर, (कासं)। कांग्रेस नेत्री नीरू चौधरी के नेतृत्व में शुक्रवार को महिला कांग्रेस ने एडीएम रामावतार कुमावत को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेत्री और राजस्थान जाट महासभा महिला युवा प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष नीरू चौधरी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में महिला आरक्षण विधेयक 2023 (नारी शक्ति बन्दन अधिनियम) संसद द्वारा पारित किया गया है। यह विधेयक लोकसभा, राज्य सभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती है और राष्ट्रपति महोदया से इसके शीघ्र क्रियान्वयन की मांग की है। 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाना चाहिये। नीरू चौधरी ने कहा कि इस विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन से महिलाओं की राजनीति भागीदारी में वृद्धि होगी। जिससे न केवल समाज में उनकी स्थिति सशक्त होगी बल्कि देश के समग्र विकास में भी उनका योगदासन बढ़ेगा। सरकार इस विधेयक को शीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाये। राजस्थान में आगामी चुनावो के मद्देनजर नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में भी इस आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रयास किए जाये। चौधरी ने महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने और इसको प्रभावित ढंग से लागू करने के लिए महिलाओं को सरकार द्वारा आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं। महिला आरक्षण के प्रभावी कार्यन्वयन हेतु राज्य एवं जिला प्रशासन से पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। इस दौरान उनके साथ बीकानेर की पूर्व पार्षद सिंवरी चौधरी, बीकानेर एम.एस. कॉलेज की अध्यक्ष निरमा मेघवाल के साथ अन्य महिला कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थी।

अवैध रिफिलिंग पर कार्रवाई

घरेलू गैस सिलेंडर्स के अवैध रिफिलिंग की शिकायत पर दो जगह से सिलेंडर जब्त किए।

बीकानेर, (कासं)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की रोकथाम की शिकायत पर शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया गया। जिला रसद अधिकारी वीरेन्द्र सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक प्रखर भार्गव, प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह राव, बीकाजी मार्केट में महादेव एग्रो एजेंसी के सामने दुकान पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान इन्द्रा कॉलोनी स्थित राजपुरोहित चौक निवासी देवानन्द पारीक पुत्र मदनलाल पारीक अवैध रिफिलिंग व भण्डारण करता हुआ पाया गया। इस दौरान 6 सिलेंडर, एक रिफिलिंग मशीन और एक इलेक्ट्रोनिक कांटा जब्त किए गया। इसी श्रृंखला में जिला रसद अधिकारी ने आडू पीर दरगाह के पास अजय पुत्र चुन्नीलाल को अवैध रिफिलिंग व भण्डारण करता हुआ पाया। उससे चार घरेलू सिलेंडर, एक कांटा, एक रिफिलिंग मशीन जब्त किए गए। इन प्रकरणों में आरोपियों के विरूद्ध एलपीजी अधिनियम 2000 के खंड सं. 3, 4, 5 व 7 के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया जायेगा।

सड़कों के मरम्मत की मांग

नोखा, (कासं)। नगर पालिका के पार्षद देव किशन चांडक ने नगर पालिका अध्यक्ष से सदर बाजार क्षेत्र में सड़क निर्माण और रामदेव चौक में पेवर ब्लॉक लगाने की मांग की है। पार्षद ने कई प्रमुख मार्गों के निर्माण की मांग रखी है। इनमें जैन चौक से कटला चौक तक सीसी सड़क, विजय राज सेठिया के मकान से सत्य नारायण के मकान तक, और अश्विनी वैद्य के मकान से सरदार मल सोनी के मकान तक की सड़कें शामिल हैं। साथ ही पब्लिक पार्क से श्रीकृष्ण मंदिर और पीछे की गली तथा जय किशन बागड़ी के मकान से हनुमान मंदिर तक की सड़क का निर्माण भी प्रस्तावित है। चांडक ने बताया कि नहरी योजना के कारण पिछले एक साल से सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उनके वार्ड में नहरी कार्य 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। सदर बाजार क्षेत्र में महिलाओं, पुरूषों, बच्चों और वाहनों की आवाजाही अधिक होती है। टूटी सड़कों के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद ने नगर अध्यक्ष से सड़कों के पुनर्निर्माण की तत्काल मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से बाबा रामदेव/मरोठी चौक में पेवर निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों को नोखा की सुंदरता का अनुभव मिल सके।

गंदे पानी की समस्या के लिए पंप हाउस व नाले का निर्माण होगा

- **सुजानदेसर में 10 करोड़ से नाला और वल्लभ गार्डन में 7 करोड़ रुपए की लागत से 20 एमएलडी का पंप हाउस बनेगा**

बीकानेर, (कासं)। यहां बल्लभ गार्डन और सुजानदेसर में गंदे पानी के जमाव की समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए पंप हाउस और नाले का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और जयपुर में आयोजित होने वाली डीएलबी की मीटिगं में मिल जायेगी। उसके बाद टेंडर जारी कर दिए जायेंगे।

बीकानेर शहर के वल्लभ गार्डन और सुजानदेसर में गंदे पानी के जमाव की समस्या से आमजन और प्रशासन त्रस्त है। लेकिन अब यह बड़ी समस्या खत्म हो जायेगी। इसके लिए बल्लभ गार्डन में 7 करोड़ रूपए की लागत से 20 एमएलडी का पंप हाउस और सुजानदेसर में 10 करोड़ रूपए की लागत से नए नाले का निर्माण किया जायेगा। सरकार ने बीकानेर को 100 करोड़ रूपए के कामों की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। बाद में वित्त विभाग ने आवश्यक कार्य करवाए जाने के लिए 59.10 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी कर दी थी।

जयपुर में डीएलबी की मीटिंग है जिसमें 60 करोड़ के कामों की तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी जायेगी। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी और करीब डेढ़ माह में इसे पूरा कर लिया जायेगा। शहर का गंदा पानी बल्लभ गार्डन पहुंचता है और वहां तालाब बन जाता है। जिससे उस क्षेत्र की अनेक कॉलोनियों में पानी भर जाता है और हालात गंभीर बन जाते हैं। पंप हाउस बनने से सारा पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचेगा।

इसी तरह सुजानदेसर में खुदखुदा नाले से भी ऐसे ही हालात बन जाते हैं। यहां रामदेव मंदिर से काली माता मंदिर की तरफ गंगा रेजीडेंसी के पीछे नाला बंद कर नए नाले का निर्माण होगा।

गौरतलब है के पूर्व में नगर निगम ने बल्लभ गार्डन और सुजानदेसर में खुदखुदा नाले से गंदे पानी के जमाव की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को 104.50 करोड़ रूपए के प्रस्ताव भेजे थे। बाद में पूरे शहर की समस्या का समाधान करने के लिए 222.38 करोड़ रूपए के प्रस्ताव तैयार किए गए। वित्त विभाग की ओर से प्रथम फेज के कामों के लिए 60 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।

चकगर्बी में अवैध मकान सील

बीकानेर, (कासं)। बीडीए ने ग्राम चकगर्बी के खसरा 749 में कृषि भूमि पर निर्माण स्वीकृति लिए बिना और भू-उपयोग परिवर्तन कराये बिना ही बनाए गए मकान को सील एंड सीज कर दिया। बीडीए के अधिकारी पूरी तैयारी, लवाजमे और संसाधनों के साथ मुक्ताप्रसाद नगर मौके पर पहुंचे और और तीन मंजिला मकान का सीज कर दिया।

बीडीए सचिव के. आर. मीणा ने बताया कि ग्राम चकगर्बी के उपनिवेशन खसरा नंबर 749 में स्थित कृषि भूमि में बीडीए से निर्माण स्वीकृति लिए बिना और भू-उपयोग परिवर्तन करवाए बिना कृषि भूमि में अवैध निर्माण करवाया गया है। इसलिए मकान को सील किया गया है। इस संबंध में लोगों की ओर से डीएम, संभागीय आयुक्त, हाउसिंग बोर्ड और बीडीए के अधिकारियों को शिकायत की गई थी। उनका आरोप था कि मुक्ताप्रसाद सेक्टर 12, 13 के खसरों में अतिक्रमण कर प्लाट काटकर निर्माण किया है।

लूट के आरोपी हरियाणा से दबोचे, रिमांड पर

- **पांच महीने पहले बीकानेर में थार गाड़ी को रूकवाकर लूट की वारदात कर भागे थे**
- **लूट की वारदात करने वाले तीन बदमाश तीन दिन के रिमांड पर**

बीकानेर, (कासं)। यहां गुंसाईसर रोड पर थार गाड़ी को रूकवाकर लूट की वारदात करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। तीनों को कोर्ट में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर भेजा गया।

दरअसल तीन नवम्बर को गुसाईसर बड़ा मार्ग पर दिन-दहाड़े एक थार गाड़ी को रोककर बनादेसर निवासी 34 साल के राधेश्याम से लूटपाट की गई थी। उससे दो सोने की चैन और सोने का कड़ा लूटा गया था। मामले में पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद के गांव सरवरपुर निवासी राजेश कुमार उर्फ राजा (30) पुत्र रामसिंह जाट, शीशपाल उर्फ मोनू (29) पुत्र नत्थूराम खाती और गांव बौंदीवाली निवासी सुनील उर्फ अनिल (22) पुत्र ओमप्रकाश नायक को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए टीम हरियाणा पहुंची थी, जहां काफी छानबीन के बाद तीनों को दबोच लिया।

थानाधिकारी जितेंद्र कुमार के निर्देशन में एएसआई राजकुमार, कांस्टेबल विनोद तेतरवाल, नरेन्द्र सिंह और अनिल मील ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तीनों को रिमांड पर लेकर पुलिस अन्य लूट मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि तीनों बदमाश कुछ और लूट का खुलासा कर सकते हैं।

गांजा, अवैध पिस्तौल के साथ तीन गिरफ्तार

- **तीनों मामलों में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई की, टोपीदार बंदूक भी बरामद**

हनुमानगढ़, (कासं)। जिले की पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों मामलों में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई की। सभी मामलों में आगे की जांच जारी है।

भिरानी थाना पुलिस ने पहली कार्रवाई में अजीतपुरा निवासी गुलाब (35) को 393 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी कार्रवाई में टिब्बी थाना पुलिस ने चक 05 सीडीआर सहारणी के रहने वाले सुखपाल सिंह उर्फ सुखा सिंह (58) को एक देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपि के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तीसरी कार्रवाई में भिरानी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घड़साना निवासी जगदीश (68) को बिना लाइसेंस की टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। तीनों मामलों में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने कार्रवाई की। सभी मामलों में आगे की जांच जारी है।

नटवर लाल की जयंती पर काव्य पाठ

बीकानेर, (कासं)। नटवरलाल व्यास उघाड़ा वेलफेयर सोसायटी की ओर से समाजवादी नेता स्व. नटवर लाल व्यास की 77 वीं जयंती के अवसर पर चांडक भवन के पास स्थित वाचनालय में श्रद्धांजलि सभा रखी गई।

इसमें व्यास के तैल चित्र पर पुष्पांजलि के बाद काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। काव्य पाठ में बीकानेर के हिन्दी, मारवाड़ी और उर्दू जुबान के साहित्यकार शामिल हुए। काव्य गोष्ठी में डॉ. कृष्ण आचार्य, राजाराम स्वर्णकार, विप्लव व्यास, इरशाद अजीज, जुगलकिशोर पुरोहित, बाबूलाल छंगाणी, योगेश राजस्थानी, सुनील गज्जानी, जगदीश आचार्य, अक्षिता जोशी आदि ने काव्य पाठ किया।

चमडिया फाउंडेशन सैटेलाइट हॉस्पिटल में बनायेगा पार्क

- **गर्मियों में पीबीएम में 75 पंखों की व्यवस्था भी फाउंडेशन ने की**

बीकानेर, (कासं)। गोमादेवी चमडिया चैरिटेबल फाउंडेशन अब रोटरी क्लब रॉयल्स के साथ सैटेलाइट हॉस्पिटल में महिला और बच्चा वार्ड के बीच खाली पड़ी जमीन में एक पार्क विकसित करेगा।

पीबीएम में जनाना हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े। इसके लिए यहां साल भर प्याऊ चलती है। इस प्याऊ में मौसम के हिसाब से ठंडा और गर्म पानी की व्यवस्था होती है। इतना ही नहीं सर्दियों के तीन महीनों तक यहां पर रैन बसेरा भी चलता है। यह सारा काम गोमादेवी चमडिया चैरिटेबल फाउंडेशन करता है। 2021 में शुरू हुए इस फाउंडेशन के वर्तमान में 15 सदस्य हैं, जो आपसी सहयोग से ही सारा काम करते हैं। फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील चमडिया ने बताया कि पीबीएम हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को गर्मियों के दिन में पानी के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में हमने यह प्याऊ लगाने का काम किया। फाउंडेशन रैन बसेरा और प्याऊ मारवाड़ जनसेवा समिति के साथ मिलकर चलाता है। पीबीएम में चलने वाली इस प्याऊ में हर महीने 40 मटकियां बदली जाती है। वहीं सर्दी के मौसम में गर्म पानी उपलब्ध कराने के लिए यहां हमने इलेक्ट्रोनिक टब तैयार करवाया है जिसमें पानी गर्म होता रहता है।

कड़ाके की सर्दी के मौसम में यहां रैन बसेरा भी लगाया जाता है जिसमें बिस्तर, रजाई के साथ-साथ सुबह के समय लोगों को चाय-बिस्किट भी दिया जाता है। इसके अलावा शहर की प्रतिभावान महिलाओं को हर साल प्रज्ञा रोटरी अवार्ड देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। गर्मियों में पीबीएम में 75 पंखों की व्यवस्था भी फाउंडेशन ने की। टेबल टेनिस की पैरा खिलाड़ी कंचन बन को खेलने के उपकरण और अन्य आर्थिक सहयोग फाउंडेशन की ओर से दिया गया है।

आश्वासन के बाद एस.के.आर.ए.यू. विद्यार्थियों का धरना समाप्त

- **विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से मिलकर 10 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा**

विश्वविद्यालय प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद एस.के.आर.ए.यू. विद्यार्थियों ने मांगों का ज्ञापन सौंप गुलाल उड़ाकर धरना खत्म किया।

बीकानेर, (कासं)। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों ने शुक्रवार को अपना धरना समाप्त किया।

विश्वविद्यालय प्रशासन और शैक्षणिक स्टाफ द्वारा धरनारत विद्यार्थियों से शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखने में सहयोग का अनुरोध किया गया। इस अनुरोध को मानते हुए विद्यार्थियों ने धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार देवाराम सैनी से मिलकर 10 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। देवाराम सैनी ने विद्यार्थियों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने की बात कही।

उन्होंने विद्यार्थियों से कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहने, पूरी लगन से शिक्षा ग्रहण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है। छात्र कल्याण के विषय पर कोई समझौता नहीं होगा। अध्ययनरत विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए विश्वविद्यालय शैक्षणिक, अनुसंधान और अन्य सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयासरत है।

इससे पहले छात्र कल्याण और अनुसंधान निदेशक डॉ विजय प्रकाश, भूसदृश्यता एवं राजस्व सृजन निदेशालय के निदेशक डॉ दाताराम, सह अधिष्ठाता छात्र कल्याण वाई. के. सिंह ने विद्यार्थियों से बातचीत कर धरना समाप्त करने के लिए समझाइश की। डॉ विजय प्रकाश ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा अर्जन सबसे अहम कार्य है। सुविधाओं में उत्तम शैक्षणिक वातावरण निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है। विद्यार्थी संजीदगी से पढ़ाई करें। अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए विद्यार्थी तुरंत प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है।

65 महिलाओं को सिलाई मशीन दी

बीकानेर, (कासं)। सनातन धर्म रक्षा समिति की ओर से जिला उद्योग संघ भवन में जंगलेश्वर 108 कुंडीय गौरीशंकर महायज्ञ और शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के बीकानेर आगमन पर सहयोग करने वाले भामाशाहों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया।

सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि योगी हंसनाथ महाराज थे। विशिष्ट अतिथि एसपी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ गुंजन सोनी ने भामाशाह प्रेम कुलरिया, मोहन सुराणा, द्वारका प्रसाद पच्चीसिया, राजेश चूरा, कमल कल्ला, अनिल सोनी झूमरसा, किसन मोदी, झंवरलाल टाक एवं समाजसेवी प्रहलाद मार्शल, सीताराम कच्छावा, सुरेन्द शर्मा, चांदरतन बिस्सा, शम्भू गहलोत, इंद्रसिंह राजपुरोहित, ऊषा गहलोत, जयश्री भाटी, संतोष उपाध्याय, नत्थूराम कच्छावा, नंदकिशोर गहलोत को स्मृति चिन्ह देखकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर समिति द्वारा 65 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की गई।

प्रारूप-10 [नियम-06(7) देखिए]

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका रायसिंहनगर

लोक सूचना

क्रमांक न.पा.रा./2025-26/राजस्व/32 दिनांक 04.04.25

श्री गुरदेव सिंह पुत्र गजन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 23 पीएस ए, रायसिंहनगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित कृषि भूमि का गैर-कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ के अन्तर्गत ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात -

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा / मुरब्बा / किला	क्षेत्र
रायसिंहनगर श्रीगंगानगर	चक 23 पीएस ए तहसील रायसिंहनगर	पत्थर नं. 207/296 मुरब्बा नं. 25 किला नं. 7 में 0.253 हैक्ट., किला नं. 8/1 में 0.126 हैक्ट., किला नं. 8/2 में 0.127 हैक्ट., किला नं. 9 में 0.253 हैक्ट. व किला नं. 10 में 0.253 हैक्ट. कुल क्षेत्रफल 1.012 हैक्ट.	कुल 1.012 हैक्टेयर

इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 63 के अधीन [illegible] इस्ताक्षर और कार्यालय मुद्रा के अधीन आज दिनांक 04.04.2025 जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रायसिंहनगर

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/ 2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 27/03/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 6/7 के किला नं. 02 में माप 12 इन्टू 45 फीट भूखण्ड संख्या ए-36 ए, अशोक नगर-बी, श्रीगंगानगर का पट्टा संख्या 126 दिनांक 16.04.2013 को श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री पुरूषोतम दास के नाम से नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किया हुआ है। श्रीमती मंजू मोहता पत्नी श्री संदीप कुमार मोहता निवासी ए-72 सैकिण्ड फ्लोर, प्लॉट नं. 35, पुराना ए-72/41, जोशी कॉलोनी, सामुदायिक भवन के पास, मंडावली फाजलपुर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली द्वारा उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 03.09.2024 की प्रति प्रस्तुत कर न्यास द्वारा पूर्व में जारी पट्टे एवं बैयनामें का समर्पण कर भूखण्ड की लीज हस्तान्तरित करवाते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/ 2025/ 3830 दिनांक : 01/04/2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **श्रीमती सुहासिनी पत्नी श्री राजकुमार वर्मा निवासी म.न. 6, गजानन्द विहार, श्रीगंगानगर** के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित **आवासीय** भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकॉर्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 09 किला नं. 25 भूखण्ड संख्या ए-25 माप 30 इन्टू 15.6 फीट विद्या विहार, श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का पट्टा संख्या 19957 दिनांक 12.05.2023 को श्री परविन्द्र सिंह पुत्र श्री गजन सिंह के नाम से जारी किया हुआ है।	श्रीमती सुहासिनी द्वारा उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 07.03.2025 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का ऑनलाईन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में **श्रीमती सुहासिनी पत्नी श्री राजकुमार वर्मा निवासी म.न. 6, गजानन्द विहार, श्रीगंगानगर** द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/ उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमजन/ हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या:- SGNR/FY24-25/MUT/1548 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर